

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर स्थानान्तरण किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विषय	कहाँ से (राउमावि)	कहाँ को (राउमावि)
1.	चन्द्रा सिंह पंवार	भौतिक	नगवा (धोद) सीकर	बोयणा (मावली) उदयपुर
2.	महेन्द्र भट्ट	भौतिक	दुर्गावास (अजमेर) से टाडगढ़ (अजमेर) के आदेश पर	बल्ली जरसाखेड़ा (भीम) राजसमन्द
3.	रीता सक्सेना	भौतिक	कल्लावास (लालसोट) दौसा	बनियाना (लवाण) दौसा
4.	नीरज आहुजा	भौतिक	मोडी भीनसागर (झालावाड़)	2एमएलडी(ए)घडसाना (श्रीगंगानगर)
5.	मुकेश कुमार विजय	भौतिक	महादेवपुरा (चाकसू) जयपुर	चित्तौड़ा (फागी) जयपुर
6.	छादुराम मीणा	भौतिक	चित्तौड़ा (फागी) जयपुर	महादेवपुरा (चाकसू) जयपुर
7.	हंसराज मीणा	गणित	पाडली (सिकराय) दौसा	खोहरामुल्ला (महवा) दौसा
8.	ऋषिकेश मीणा	गणित	खोहरामुल्ला (महवा) दौसा	पाडली (सिकराय) दौसा
9.	दिनेश कुमार कटारिया	गणित	बा. गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर)	हिण्डोनसिटी (करोली)

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 04.10.18 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्र.सं. 08 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। एवं शेष रहे अन्य कार्मिकों को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES के कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थान पर स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं किया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्यथा संस्था प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक के कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उपनिदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्य में नियुक्त कार्मिक अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग अनुभाग (1) के पत्रांक प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट. जयपुर, दिनांक: 31.07.18 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार दिनांक: 31.07.18 से 29.09.18 के अवधि के पश्चात् ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को शाला दर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें।


(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 27/9/18

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगक/स्थानान्तरण/2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, नाननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान